मेरठ नगर निगम (आकाश चिह्न विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2022

प्रस्तावितः–

1– **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा 541 की उपधारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम, मेरठ (आकाश चिह्न, विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि 2022 का अधिष्ठापन निम्नवत करता है।

(1) यह उपविधि मेरठ नगर निगम (आकाश चिह्न, विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2022 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह सदन स्वीकृति की दिनांक से तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषायें**–(1) तब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है;

(2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति के स्थान पर उसका यथाविहित प्रक्रिया से प्राधिकृत अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक भी सम्मिलित है, और भूमि अथवा भवन (घरेलू अथवा वाणिज्यक अथवा दोनों) का स्वामी भी सम्मिलित है। ऐसा विज्ञापनकर्ता उक्त विज्ञापन से लाभदायी व्यक्ति भी हो सकता है।

(3) विज्ञापन प्रभारी का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा विज्ञापन अनुभाग के अधीन संचालित समस्त संव्यवाहरों हेतु अधिकृत किये गये सक्षम अधिकारी से है।

(4) "पंजीकरण" का तात्पर्य इस उपनियम के अन्तर्गत विज्ञापन अनुभाग के तत्वाधान उपलब्ध, ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को नियमानुसार अधिकृत सूची में दर्ज करने की प्रक्रिया से है।

(5) 1–"विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या सरंचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से सम्प्रदर्शित हो, और उक्त सतह या सरंचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

2–"आकाश चिह्न" से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिह्नयुक्त या अन्य प्रतिरूप, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदंड चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो इसमें बैनर/गुब्बारा/पैराशूट या इसी प्रकार का अन्य कोई समरूप साधन सम्मिलित होगा।

(6) "विज्ञापन" का तात्पर्य चित्रात्मक, शब्दात्मक या अन्य किसी प्रकार के प्रतिकात्मक आदि माध्यम से जनसामान्य को संमसूचित करने, संदेश प्रसारित करने, राजी करने के उद्देश्य से इस उपनियम के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त सम्भव माध्यमों से संदर्शित सूचना से है।

(7) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैंस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दू से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना आकाश में अवस्थित हो।

(8) "बैनर" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट से है जो सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों/टेलीफोन या विद्युत के खम्भों या किसी अन्य वस्तु अथवा स्तम्भ से रस्सी बॉधकर सड़क के बिल्कुल मध्य में लटकाया गया हो, जोकि जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है।

(9) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डे/झण्डी का प्रयोग कर रहा है;

(10) "समिति" का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है;

(11) "निगम" का तात्पर्य मेरठ नगर निगम से है;

(12) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसके निर्माण, संचालन ओर प्रकाशित किये जाने में विद्युत का प्रयोग किया गया हो और एल0ई0डी0 बल्बों, विद्युत झालरों, रोशनी आदि जैसे उद्दीपको आदि के माध्यम से संदेश विज्ञापित किये जाने से है।

(13) "गैन्ट्री विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है;

(14) "भू–विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भें, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्यवय हो;

(15) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(16) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्व हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया है;

(17) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(18) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(19) "निजी स्थान विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है; अथवा ऐसी भूमि पर स्थित है जिसका स्वामित्व निजी प्रकृति का है।

(20) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

(21) "बस सायबानों (शेल्टरों) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

(22) "पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाये जाने से है।

(23) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।

(24) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(25) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो, जो नगर आयुक्त इस कार्य हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आकार व माप के अनुरूप हो।

(26) "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 452 के अधीन वसूलनीय एवं आरोपणीय विज्ञापन शुल्क से है।

(27) "अल्प अवधि विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढ़ांचा से या उसके बिना किसी हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।
ऐसे विज्ञापन हेतु न्यूनतम अवधि तीन माह होगी। अल्प अवधि के सभी अनुज्ञेय सामान्य विज्ञापन हेतु निर्धारित दरों से डेढ़ गुणा अधिक दर पर देय होगी।

(28) "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(29) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्व, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(30) अप्रत्याशित रूप से गठित वीभत्स प्राकृतिक आपदा या वैश्विक महामारी की स्थिति में नगर आयुक्त उक्त स्थिति के भविष्य में युक्ति–युक्त अवधि से भी अधिक सीमा के बने रहने के दृष्टिगत विवेकानुसार विज्ञापन शुल्क/समन शुल्क में यथोचित छूट प्रदान करने के सक्षम प्राधिकारी होगें। उक्त सम्पूर्ण अवधि में लिये जाने वाला शुल्क विज्ञापन शुल्क तथा आलोच्य अवधि की समानुपातिक होगी।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में पारिभाषित शब्दो। और पदो। के वही अर्थ होगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3– **स्थल चयन के समिति का गठन**–(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता मे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए मेरठ नगर निगम मे एक समिति का गठन किया जायेगा।

समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त — अध्यक्ष

(दो) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी — सदस्य

(तीन) प्रभारी विज्ञापन, नगर निगम, मेरठ। — सदस्य/सचिव

(चार) नगर आयुक्त द्वारा नामित कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो, — सदस्य

(पॉच) चयन समिति इस उपविधि के लागू होने के 15 दिन के अन्दर विज्ञापन/प्रचार लगाने हेतु स्थान निर्धारित करेगी।

(छह) चयन समिति प्रत्येक दो वर्ष में जिन स्थानों पर विज्ञापन/प्रचार लगायें जायेगे उन स्थानों में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो कर सकेगी। नए विज्ञापन योग्य स्थल चयन समिति के अनुशंसा पर वर्ष में कभी भी चयनित, चिह्नित व सम्मिलित किये जा सकेगे।

(सात) यदि एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त होते है तो समिति उस स्थान की प्रीमियम की नीलामी जिस रीति से समिति की अनुशंसा पर नगर आयुक्त उचित समझें की जा सकेगी।

(आठ) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेगें।

4– **प्रतिषेध**–(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी, सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, या नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्यव्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो। सभी विज्ञापन पट यूनिपोल के रूप में केवल एकलपोल पर ही स्थापित किये जा सकेगें। ऐसे विज्ञापन पट जो 02 लोहें के गार्डर, 02 बॉस अथवा 02 बल्लियां गाड़कर स्थापित कर लिया गया हो, स्वतः ही अनाधिकृत विज्ञापन पटों की श्रेणी से आच्छादित माना जायेगा। भले ही उसका शुल्क निगम कोष में जमा करा दिया गया हों।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट के इस उपनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(6) बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

(7) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी विज्ञापन पट केवल एकल पोल पर ही लगाये जा सकेगें।

(8) जाति, प्रजाति, वर्ण, रंग, पंत, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग आदि के आधार पर उपहासात्मक/निन्दात्मक विज्ञापन सामाग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(9) भारत के संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, विधि द्वारा स्थापित नियमों/कानूनों आदि के विपरीत विज्ञापन सामाग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(10) राष्ट्रीय प्रतिकों, राष्ट्रीय चिह्नों, जननायकों, आदि के प्रति उपहासात्मक/निन्दात्मक किसी भी रूप में विज्ञापन सामाग्री का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

(11) महिलाओं के सम्बन्ध में उपहासात्मक/निन्दात्मक विज्ञापन सामाग्री तथा किसी भी प्रकार से अशलील के रूप में सामान्य प्रज्ञा से चिन्हित हो सकने वाली सामाग्री प्रतिबन्धित होगी।

(12) जनसामान्य को अपराध, हिंसा, आत्महत्या, घृणा, दंगा, आंतक, असामाजिक व्यवहार, असंसदीय भाषा, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली विज्ञापन सामाग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(13) साम्प्रदायिक, सामाजिक सद्भाव को खठित करने वाली विज्ञापन सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(14) ऐसी कोई भी विज्ञापन की सामग्री अपने किसी भी स्वरूप में पूर्णयता निषिद्ध एवं खठित होगी, जोकि निम्नवत् अधिनियम के सुसंगत कतिपय प्रावधानों के विपरीत हो।

1–सम्प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निकरण) अधिनियम 1950
2–औषधि एवं प्रसांधन सामाग्री अधिनियम–1940
3–पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955
4–खाद्य अप मिश्रण निकरण अधिनियम–1954
5–कॉपी राईट अधिनियम–1957
6–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003
7–स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम–1986
8–उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986
9–व्यापार चिह्न अधिनियम–1999

विशेष नोटः–ऐसा उल्लघंन पाये जाने पर प्रदर्शनकर्ता/अधिष्ठाता/छपाईकर्ता को उत्तरदायी माना जायेगा।

5– **श्रेणी का वर्गीकरण** :–

(1) प्रवर श्रेणी–बेगमपुल चौराहा से काली नदी तक, बच्चा पार्क, ईव्ज चौराहा, तेजगढी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, मेरठ कॉलिज स्थित कमिश्नरी चौराहा, बागपत चौराहा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर चौराहा, आयुक्त आवास चौराहा, जागरण चौराहा, जेल चुंगी चौराहा, मैट्रो प्लॉजा चौराहा, (चौराहे से 100 फिट की परिधि में),

(2) **श्रेणी–ए** प्रवर श्रेणी से अलग का क्षेत्र एल0 ब्लॉक चौराहा, बेगमब्रिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक, बच्चा पार्क चौराहे से हापुड अडडा व हापुड अडडा से तेजगढी चौराहे होते हुए काली नदी के पुल तक, मेरठ कॉलिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहा होते हुए घंटाघर तक, तेजगढी से एल0 ब्लॉक चुंगी तक।

(3) **श्रेणी–बी**–दिल्ली रूडकी हाईवे की साइडों में लगे निगम सीमा के अन्तर्गत सभी विज्ञापन, परतापुर से ट्रान्सपोर्टनगर तक (दिल्ली रोड) तेजगढी से जेल चुंगी तक, पी0एल0 शर्मा रोड, रूडकी रोड पी0ए0सी0 से मोदीपुरम के पुल तक, ईव्ज चौराहे से आयुक्त आवास चौराहे तक व आयुक्त आवास चौराहे से मवाना रोड नगर निगम सीमा तक।

(4) **श्रेणी–सी**–इस श्रेणी में सरधना रोड नगर निगम सीमा तक, बागपत रोड, रोहटा रोड, रेलवे रोड चौराहे से माधवपुरम तक, गोल मार्किट, साकेत, नेहरू रोड, जवाहर क्वार्टर, सेन्ट्रल मार्किट स्थान सम्मिलित है।

(5) **श्रेणी–डी**–इस श्रेणी में वह सभी स्थान सम्मिलित है जो उपर्युक्त प्रवर 'ए', 'बी' व 'सी–श्रेणी में सम्मिलित नही है।

(6) चयन समिति को चिन्हित विज्ञापन स्थलों की श्रेणियों में यथावश्यकता परिवर्तन करने का अधिकार होगा कि वह प्रत्येक दो वर्ष में जिस वर्ष दरों में बढोत्तरी होगी, इस उपनियम में वर्णित श्रेणी के वर्गीकरण में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो करेंगी।

(7) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिससे 5000.00 रू0 भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी क्रिया जा सकता है, तथापि आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन–पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(8) उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त यदि कोई स्थान ऐसा जिसका उल्लेख इस उपनियम में होने से या तो रह गया हो या उस स्थान की उत्पत्ति इस उपनियम के अधिष्ठापन के उपरान्त हुई हों, में स्थापित विज्ञापन पटों पर देय शुल्क की गणना उस स्थान से निकटतम उच्चतम श्रेणी वाले स्थान की दरों के आधार पर की जायेगी।

6— **पंजीकरण**:—

किसी भी विज्ञापन की अनुमति/ठेका/निर्माण, संचालन और हस्ताक्षरण (बी0ओ0टी0) सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) पद्धति पर कार्य करने के लिए सम्बन्धित संस्था को नगर निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए नियम व शर्ते निम्न है :—

(1) **प्रवर श्रेणी**— इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 25.00 लाख रूपये पंजीकरण शुल्क विज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'ए' श्रेणी 'बी' श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वो स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गयी दरों पर विज्ञापन पट लगाने की बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि इस श्रेणी पंजीकरण व्यक्ति या फर्म या संस्था अंकन 25.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 30 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(2) **श्रेणी 'ए'**— इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 20.00 लाख रूपये पंजीकरण शुल्क विज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'ए' श्रेणी 'बी' श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वो स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गयी दरों पर विज्ञापन पट लगाने की बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि इस श्रेणी पंजीकरण व्यक्ति या फर्म या संस्था अंकन 20. 00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 25 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(3) **श्रेणी 'बी'**— इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 15.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'बी व श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 15.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 20.00 लाख रूपये की राष्ट्रीय कृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(4) **श्रेणी 'सी'**— इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 10.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 10.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 15.00 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(5) **श्रेणी 'डी'**—इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 5.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'डी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 5.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 10.00 लाख रूपये की राष्ट्रीय कृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(6) पंजीकरण हेतु जमा कराया गया विज्ञापन शुल्क किसी भी दशा में आवेदक को न तो वापस किया जायेगा और न ही उसका आगामी वर्षो में समायोजन किया जायेगा। पंजीकरण प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिए फरवरी माह में किये जायेंगे।

(7) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

(8) आवेदनकर्ता को पिछले तीन वर्ष की आयकर रिटर्न एवं 2 साल की सेवा एवं वस्तुकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा नवीन पंजीकरण हेतु सेवा कर में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(9) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या संस्था का पंजीकरण नही किया जायेगा जिस पर नगर निगम की कोई बकाया धनराशि देय हो इसके लिए आवेदक को नगर निगम, मेरठ के समक्ष प्राधिकारी से अदेय प्रमाण–पत्र लेकर पंजीकरण हेतु देय होगा। जिस व्यक्ति या फर्म या संस्था पर पंजीकरण के उपरान्त भी बकाया रह जाता है तो उसका अगले वर्ष हेतु पंजीकरण नही होगा और यदि नगर आयुक्त चाहें तो ऐसे व्यक्ति या फर्म या संस्था को काली सूची में डाल सकेंगे।

(10) किसी साझेदारी फर्म/संस्था की स्थिति में उसके पार्टनरशिप डीड/उपविधि/पंजीकरण का प्रमाण–पत्र पंजीकरण हेतु देना होगा।

(11) अल्पकालिक विज्ञापनों हेतु पंजीकरण की आवश्यकता सामान्यतः नही होगी। नगर आयुक्त अथवा इस कार्य हेतु प्राधिकृत प्रभारी विज्ञापन यदि उचित समझते है तो वह अल्पकालिक स्वीकृति दे सकते है अथवा ऐसे निजी विज्ञापनों जिन्हें उक्त अधिकारी उचित समझें स्वीकृति दे सकेंगे। अल्पकालिन स्वीकृति की अवधि न्यूनतम 3 माह की होगी। जबकि ऐसी अनुमति हेतु देय विज्ञापन शुल्क की दर सामान्य विज्ञापन पटों दरों की डेढ़ गुणा होगी।

(12) पंजीकरण का नवीनीकरण हेतु वार्षिक सार्वजनिक सूचना की अवधि में अथवा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर आवेदन कराना अनिवार्य होगा। "ए" श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी ही नीलामी/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगी।

(13) यदि नगर आयुक्त उचित समझें तो वह विज्ञापन पटों की स्थापन पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली ठेके के माध्यम से ही कराये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगें! यह ठेका ऐसे सभी स्थानों पर विज्ञापन पटों की स्थापना हेतु दिया जा सकेगा, जिनका चिह्नीकरण इस नियमावली की धारा–3 के अर्न्तगत गठित की गयी समिति द्वारा किया गया हो। सामान्यतः ठेके की अवधि एक वित्तीय वर्ष होगी। परन्तु ठेकेदार की कार्य प्रणाली की गुणवत्ता संतोषजनक होने एवं अन्य विशेष परिस्थतियों में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह उक्त ठेके की अवधि से ठेका आवंटन के वर्ष से एक बार में 06 माह तथा आगामी अधिकतम 02 वर्षो तक बढ़ा सकता है।

7– <u>अनुज्ञा की अवधि</u>

(1) अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट होगी, सामान्यतः अनुज्ञा एक वित्तीय वर्ष के लिए दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में चयन समिति की अनुशंसा एवं नगर आयुक्त की स्वीकृति के आधार पर अनुज्ञा दो वर्ष के लिए दी जा सकती है। अनुज्ञा निगम द्वारा निर्धारित दरों पर अथवा नीलामी द्वारा अथवा निविदा द्वारा जैसा नगर आयुक्त उचित समझें उसी माध्यम से दी जा सकेगी। नीलामी अथवा निविदा की स्थिति में नगर निगम में पंजीकरण निलामी अथवा निविदा प्राप्ति के पश्चात् कराना होगा।

(2) निर्माण, संचालन और हस्तान्तरण (बी0ओ0टी)/सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के अन्तर्गत ऐसी अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनका व्ययानुमान एक करोड रूपये से अधिक हो और ऐसी अनुज्ञा देने के दो दिन के अन्दर नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति को सूचित करना होगा। ऐसी अनुज्ञा की अवधि 03 वर्ष होगी, 03 वर्ष पर कार्य संतोषजनक होने पर नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आगामी 02 वर्षो के लिये विज्ञापन कर में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ नवीनीकरण कर सकेंगे। इस प्रकार की अनुज्ञा हेतु विज्ञापन कर की दर सामान्य विज्ञापन कर की दर का 25 प्रतिशत होगा। इस उपनियम में आवेदन केवल श्रेणी–ए में पंजीकृत व्यक्ति या फर्म या संस्था ही कर सकेगी।

8– अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रू0 5000.00 रू0 का भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन–पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थलीय मानचित्र सहित निहित होगी, जहाँ भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी–

(क) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो;

(ख) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगें–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध–पत्र;

(4) निजी भूमि या भवन पर लगे विज्ञापन पटों की स्थित में निर्धारित समयावधि में भुगतान न देने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा पंजीकरण के समय दी गयी बैंक गारन्टी से समायोजित कर लिया जायेगा एवं जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट से फ्लैक्स हटाने अथवा विज्ञापन पटों की माप अथवा आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचनाओं/विवरण के भौतिक सत्यापन करने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन–पत्र के साथ सूचना प्रस्तुत करनी होगी और उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट/आई0एच0पी0 को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो/फ्लावर पॉट/आई0एच0पी0 पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा। नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे विज्ञापन पर देय शुल्क की वसूली हेतु जोनवार ठेके छोड़ सकें।

(7) अनुज्ञा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाये।

(8) प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में यदि आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वैध/मान्य कारणों के साथ कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नही किया जाता है तो प्रदत्त की गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा आवेदन पत्र के साथ जमा कराया गया अग्रिम शुल्क जब्त कर लिया जायेगा जिसके उपरान्त पुनः आवेदन करने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया नये सिरे से करनी होगी।

(9) अपूर्ण, बिना हस्ताक्षर अथवा अन्य कारणों से अयोग्य आवेदन पत्र को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी में निहित होगा।

नोट–बैनर, वाल पेन्टिंग के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

9– **अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें**–(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखनें, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर से प्रचार–प्रसार पूर्णतयः प्रतिबन्धित होगा, यह कि:–

(क) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा;

(ख) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नही होगी;

(ग) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन पट को स्वयं के व्यय पर हटा देगें या उसे मिटा देगें, अन्यथा की स्थिति में निगम द्वारा हटाये जाने अथवा मिटाये जाने की स्थिति में दण्डात्मक वसूली की जायेगी।

(घ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञप्त स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या उसे परिनिर्मित किये जायेंगे; विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अथवा प्रभारी विज्ञापन की अनुमति से उसी श्रेणी में स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

(ड़) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;

(च) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बांधित नहीं होंगे;

(छ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होगा चाहिए।

(ज) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़–पौधों में गाडा, बांधा नही जायेगा;

(झ) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है;

(ख) यदि कोई परिवर्द्वन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश की अधीन किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

10– **आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार**–नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि–

(क) आवेदन–पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यक से संप्रदर्शित हो,
जैसा कि नगर आयुक्त की राय मे, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो;

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्व हो;

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में शांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो;

(छ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

11– **विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति**–(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूमि से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:–

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्ययः और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन मे परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रर्शित किया गया था, में किसी क्षतिया विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

12– **विज्ञापन पर निर्बन्धन**–(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जाएगा, प्रदर्शित नही किया जाएगा, संप्रदर्शित नही किया जाएगा, चिपकाया नही जाएगा, लिखा नही जाएगा, चित्रित नही किया जाएगा या लटकाया नही जाएगा, यदि,

(एक) इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से नापे गये 10 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो

(चार) जर्जर स्थिति में हो जिसके ऑधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापनों पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जाएगी–

[एक] ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे की यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यव्यता में बाधा या व्यवधान होता हो;

[दो] राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के दायीं ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर हो;

[तीन] ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिह्न, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वाचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

[चार] किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनमें चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो;

[पॉच] ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहों पर उनकी दृश्यव्यता बाधित हो;

[छह] जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) [एक] निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा–सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुल लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा,

[दो] सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा;

[तीन] गैन्ट्री प्रतीकों के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाये जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा।

गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके।

[चार] सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़ें वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्व होगा;

[पॉच] किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्यव्य होगा, अनुमन्य होगें।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होगी–

[एक] ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध/चमक उत्पन्न होने के कारण चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होने की सम्भावना हो या जिससे सामान्य परिवाहन/चालन बाधित हो की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हों।

[दो] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

13– **छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन**–(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

14– **दुकानों पर विज्ञापन**–किसी दुकान पर दुकान के भीतर शोकेस आदि को छोड़कर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर

चस्पा करके, पेन्टिंग लेखन द्वारा, प्रकाश युक्त या अप्रकाश युक्त साइनेस बोर्ड या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन नही किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि सामग्री बेचे वाली दुकान का नाम, वस्तुओं या सामनों के नाम के साथ अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाये तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जायेगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नही होगा।

15– **मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर)** के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–

(एक) **अभिकल्पः** विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटरX1.2 मीटर से अधिक नही रखी जायेगी और विज्ञापन के निचलें तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नही होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन–**

अभिकल्पः बस सायबनों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापनपट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 2 मीटर पर रखी जायेगी। प्रत्येक सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाईन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय–समय पर कराना अनिवार्य होगा। न्यूनतम शुल्क 18 मीटर आकार को आधार मानकर परियोजित किया जायेगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन**–नियम–13 मे विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर की आकार पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी। (सनपैक आदि के लिये मान्य न्यूनतम आकार 1 मीटर होगा)

(4) **यातायात रोटरी/सड़क**–नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी/आईलेण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई तथा विज्ञापन की ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 1 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में प्रवण श्रेणी हेतु दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विज्ञापन का न्यूनतम आकार 10 मीटर मान्य होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों**– नगर आयुक्त अभिकरण को मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकरण के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदित प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45मी0 X0.75 मी0 होगा तथा सड़क के न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)**– नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित

वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री–गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)**– नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 X 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों और संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नही होना चाहिए। परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प मात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

नोटः–नगर आयुक्त को सभी प्रकार के विज्ञापनों का आकार/संरचना के पुर्ननिर्धारण का अधिकार प्राप्त होगा।

16–'छूट–(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया है।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(तीन) किसी सरकारी या अद्वसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु उनकी माप 0.6 मी0 X 0.6 मी0 से अधिक न हो।

(पॉच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हों।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षराकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 2.5 वर्गमीटर से अधिक न हों।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उपनियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पटट्**– नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट**– किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हो, विज्ञापन पट्ट 1 मीटर से ऊँचें और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होने चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्टः**–किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन) **नाम पट्टः**–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्याक्षी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करतें हो।

अस्थायी विज्ञापन पट्ट–

(एक) **निर्माण स्थल संकेत**–निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेत**–अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नही है। (नियम–15झ (2) अस्थायी विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

17– झण्डियों पर रोक–(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नही होगी।

(4) नगर आयुक्त द्वारा नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृ या विनष्ट कर सकता है।

18– अनुरक्षण और निरीक्षण–(1) अनुरक्षणः सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जोकि ढ़ांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, और जब चमकीले ओर अनुमोदित अज्वैलनशील सामाग्री से निर्मित नही होगे तो उन पर मोर्चा लगने के लिए रंग रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) निरीक्षण–प्रत्येक विज्ञापन जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

19– प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवा कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नही किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेग।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हों जिसके लिए प्रवेश किया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

20– भुगतान की रीति–(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किस्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नही किया जायेगा। प्रथम किस्त आवेदन पत्र के साथ अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्वत्तर हो, तथा दूसरी किस्त 30 दिन के पूर्व देय होगी। निर्धारित अवधि में देय धनराशि जमा न करने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र खारिज करते हुये आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थान अय विज्ञापन कर्ता को आवंटित किये जा सकेगें। तथा धनराशि जमा कराने में असमर्थ रहें विज्ञापनकर्ता को डिफाल्टर/काली सूचीवद्ध घोषित किया जा सकेगा।

21– क्षेत्रों का वर्गीकरण–विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ श्रेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जायेगा–

(एक) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(दो) "अ" श्रेणी क्षेत्र

(तीन) "ब" श्रेणी क्षेत्र
(चार) "स" श्रेणी क्षेत्र
(पॉच) "ड" श्रेणी क्षेत्र

22– **श्रेणी का वर्गीकरण** :–

(1) प्रवर श्रेणी–बेगमपुल चौराहा से काली नदी तक, बच्चा पार्क, ईव्ज चौराहा, तेजगढी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, मेरठ कॉलिज स्थित कमिश्नरी चौराहा, बागपत चौराहा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर चौराहा, आयुक्त आवास चौराहा, जागरण चौराहा, जेल चुंगी चौराहा, मैट्रो प्लॉजा चौराहा, (चौराहे से 100 फिट की परिधि में),

(2) **श्रेणी–ए** प्रवर श्रेणी से अलग का क्षेत्र एल0 ब्लॉक चौराहा, बेगमब्रिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक, बच्चा पार्क चौराहे से हापुड अडडा व हापुड अडडा से तेजगढी चौराहे होते हुए काली नदी के पुल तक, मेरठ कॉलिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहा होते हुए घंटाघर तक, तेजगढी से एल0 ब्लॉक चुंगी तक।

(3) **श्रेणी–बी**–दिल्ली रूडकी हाईवे की साइडों में लगे निगम सीमा के अन्तर्गत सभी विज्ञापन, परतापुर से ट्रान्सपोर्टनगर तक (दिल्ली रोड) तेजगढी से जेल चुंगी तक, पी0एल0 शर्मा रोड, रूडकी रोड पी0ए0सी0 से मोदीपुरम के पुल तक, ईव्ज चौराहे से आयुक्त आवास चौराहे तक व आयुक्त आवास चौराहे से मवाना रोड नगर निगम सीमा तक।

(4) **श्रेणी–सी**–इस श्रेणी में सरधना रोड नगर निगम सीमा तक, बागपत रोड, रोहटा रोड, रेलवे रोड चौराहे से माधवपुरम तक, गोल मार्किट, साकेत, नेहरू रोड, जवाहर क्वार्टर, सेन्ट्रल मार्किट स्थान सम्मिलित है।

(5) **श्रेणी–डी**–इस श्रेणी में वह सभी स्थान सम्मिलित है जो उपर्युक्त प्रवर 'ए', 'बी' व 'सी–श्रेणी में सम्मिलित नही है।

(6) **विशेष नोटः**– यदि कोई विज्ञापन पट्ट दो श्रेणियों या अधिक श्रेणियों की सड़को के मध्य प्रदर्शित किया जाता है तो उनकी विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों उच्च श्रेणी की सड़कों के अनुरूप होगी किसी भी क्षेत्र का वर्गीकरण की विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

23– **हटाये जाने की लागत**–नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी:–

(क) 6.1X3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन को विलोपन करने की वास्तविक लागत रू0 5,000.00
(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को विलोपन की लागत रू0 8,000.00
(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत रू0 2,000.00
(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को विलोपन की लागत रू0 10,000.00

24– **अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**–(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से जो रू0 1000.00 (एक हजार रूपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उननियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन–उपविधि में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगी/होगा।

अनुसूची–2

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1– निगम द्वारा स्वामित्वाधीन.....भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट या आई0एच0पी0 के निर्माण और प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें–

प्रवर श्रेणी– 4000 रू0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष
ए श्रेणी– 2500 रू0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष
बी श्रेणी– 2000 रू0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष
सी–श्रेणी– 1500 रू0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष
डी–श्रेणी– 1000 रू0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

2– इलैक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट्टों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगी।

ट्यूबलाईट एल0ई0डी0 लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट्ट हेतु उपरोक्त क्रम सं0–1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगी।

2(1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 40 प्रतिशत धनराशि देय होगी।
2(2) केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय की भूमि/भवनों पर प्रदर्शित हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 50 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3–(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)
हल्का वाहनः रू0 7500.00 (सात हजारी पॉच सौ रूपयें) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।
भारी वाहनः रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।
(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–
(एक) तीन पहिया : रू0 100.00 (सौ) प्रतिदिन या रू0 6,000.00 प्रतिवर्ष।
(दो) चार पहिया : रू0 500.00 (पांच सौ) प्रतिदिन या रू0 12,000.00 प्रतिवर्ष।
(तीन) चार पहियो से अधिक पहिया : रू0 2,000.00 (दो हजार) प्रतिदिन या रू0 50,000.00 प्रतिवर्ष।

4–विद्युत तथा अन्य खम्भों/ट्री–गार्ड/फ्लॉवर पॉट/जनसुविधा पर विज्ञापन पट्ट लगाकर विज्ञापन हेतु अनुज्ञा शुल्क की दरें क्रमांक 1 पर उल्लेखित दरें ही लागू होगी।

5–पोस्टर : पूर्णयता प्रतिबन्धित।
6–पर्चा (हैण्ड बिल) : रू0 1000.00 (एक हजार) प्रति हजार।
7–पताका (बैनर) : पूर्णतया प्रतिबन्धित।
8–गुब्बारा : रू0 1000.00 (एक हजार) प्रतिदिन।
9–छतरी (कैनोपी) : रू0 500 (पांच सौ) प्रतिदिन (4 वर्ग मी0 या ऐसे प्रत्येक भाग के लिये)
10–दीवार लेखन : पूर्णतया प्रतिबन्धित।

नियम 15 (ड) के अनुसार एवं अनुज्ञा शुल्क की दरें मद सं0–1 के अनुसार।

11– उत्सव मेला, प्रदशर्नी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क क्रमांक (1) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा।
12– ध्वनि विस्तारण या यंत्र : रू0 200.00 प्रतिबॉक्स/स्पीकर प्रतिदिन।
13– उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मदों में देय विज्ञापन शुल्क क्रमांक (1) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।
14– इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के पश्चात् प्रभावी होगी तथा इस वृद्धि को रोकने के लिए दो तिहायी बहुमत से माननीय सदन से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा।
15–अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

प्रपत्र सं0.....
मूल्य रू0 5000.00

अनुसूची–1
(नियम 6(1) देखें)
विज्ञापन चिह्न स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

1–आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....
2–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....
3–पता (साक्ष्य संलग्न किया जाये).....
.....

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

4–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार.....
5–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार (लम्बाई चौड़ाई मीटर में).....
6–स्थल, नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....
7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या आध्यासी का नाम.....
.....
8–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?.....
9–(एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ भू/भवन की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

(दो) भू–भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) अनुमोदित/पंजीकृत संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

10–(1) अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....
(2) किस्त की धनराशि.....
11–देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क.....
12–कोई अन्य विवरण.....
.....

संलग्नक:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
दूरभाष नं0
मोबाइल नं0

स्पष्टीकरण–

1–यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से कम अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त अथवा प्रभारी विज्ञापन निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।

2–निर्माण संचालन और हस्तान्तरण (बी0ओ0टी0)/सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0)/रेपिड रेल अथवा मेट्रो रेल के ऐसे ऊपरीगामी अथवा रेल पथ पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के ठेके हेतु सम्बन्धित संस्था को नगर निगम में "अ" श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवश्यक होगा।

3–अनुज्ञा प्राप्त करने अथवा पंजीकरण कराने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ नगर निगम मेरठ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो एवं अन्य सरकारी विभागों की अदेयता के सम्बन्ध में आवेदक का नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4–अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय (21) के अनुसार वसूली किये जायेगें तथा नगर आयुक्त की आज्ञा से उपरोक्त वसूली भू–राजस्व वसूली की भांति कराये जाने हेतु वसूली प्रमाण–पत्र भी जारी किये जा सकेगें।

5–उपनियमों में उल्लेखित प्राविधानों के आच्छिक अथवा पूर्णतया उल्लंघन करने तथा किसी भी प्रकार से अनुज्ञा/विज्ञापन शुल्क अपवन्चन करने अथवा किसी भी प्रकार से निगम की सम्पत्ति/सार्वजनिक सम्पत्ति के स्वरूप को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में यदि नगर आयुक्त उपयुक्त समझेगें तो सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता को ब्लैकलिस्टिड के साथ–साथ उपयुक्त कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत मुकदमा/प्राथमिकी इन्द्राज कराने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

6–भविष्य में केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य इकाई अथवा किसी अन्य रिति से विकसित की जाने वाली योजनाओं परियोजनाओं में प्रदर्शन हेतु स्थापित किये जाने वाले बाह्य विज्ञापन पटों की स्थापना, नियंत्रण एवं शुल्क वसूली का अधिकार निगम में निहित होगा।

7–नगर आयुक्त ऐसे विज्ञापन पटों पर देय शुल्क वसूली हेतु सम्बन्धित इकाई/ विभाग से संयुक्त साझेदारी (Joint partnership)/संयुक्त उद्यम (Joint Venture) स्थापित करने के लिये अधिकृत होगें।

8–प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत विज्ञापन ऐजेन्सियों को नवीन वित्तीय वर्ष हेतु यदि फर्म का पंजीकरण नवीनीकृत कराना है तो सम्बन्धित ऐजेन्सी को नवीनीकरण की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक अपना नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई फर्म उक्त अवधि में बिना किसी उपयुक्त कारण अपनी फर्म के पंजीकरण के नवीनीकरण कराने में असमर्थ रहती है तो उक्त फर्म का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तथा निरस्तीकरण के उपरान्त यदि फर्म स्वामी द्वारा फर्म के पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाता है तो उक्त फर्म स्वामी को निम्नप्रकार श्रेंणीवार नवीनीकरण शुल्क का भुगतान निगम कोष में जमा कराया जाना होगा। यह नवीनीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में उस वित्तीय वर्ष अथवा आगामी किसी भी वित्तीय वर्ष के विज्ञापन शुल्क में न तो समायोजित किया जायेगा ओर न ही किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में फर्म स्वामी को वापस ही किया जायेगा। नवीनीकरण शुल्क की दरें निम्नवत होगी:–

6. प्रवर श्रेणी–2,00,000.00 रू0
7. श्रेणी ए0–150,000.00 रू0
8. श्रेणी बी0–1,00,000.00 रू0
9. श्रेणी सी0–50,000.00 रू0
10. श्रेणी डी0–30,000.00 रू0

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।